17 .12.24	अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र सहत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अदालत मातहत के द्वारा अदालत से रटे होने के उपरान्त भी नामान्तकरण खोलने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 25.11.2022 को अन्य पडौसीयों ने यह बतलाने पर हुई की भूमि का गलत रूप से बंटवारा कर नामान्तकरण खुलवा लिया है। प्रार्थी ने सूचना मिलने के उपरान्त नामान्तकरण वगै0 की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने 2019 डीएनजे एरारी (1), 2023 (4) डीएनजे(राज0) 1528, 2024 (1) आरएआर 244 (राज0), 2023 (2) आरएआर 786 (राज) नजीरे प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाने हेतु निवेदन किया है। वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं0 2 ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 367/301 में से 10 ऐयर भूमि अपीलार्थी के ताऊ जगन से दिनांक 06.05.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था ,जिसका नामान्तकरण सं0 120 दिनांक 11.09.2006 प्रत्यर्थी सं0 2 के नाम खुलकर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज हो चुका है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को शुरू से ही रही है। अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त नामान्तकरण खुलने की जानकारी दिनांक 25.11.2022 को तथाकथित गुमनाम अन्य पडौसियों के बतलाने से हुई हो पूर्ण रूप से गलत व अस्वीकार है। अपीलार्थी के पिता भरतलाल व प्रत्यर्थी सं0 2 ने वादग्रस्त भूमि जगनलाल से खरीदी ये दोनों जगनलाल व भरतलाल खास भाई है। इनके व इनके अन्य भाईयों के मध्य भूमि का बॅटवारा तहसीलदार के समक्ष हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण सं0 102 दिनांक 31.03.2005 को खुल गया है। अपीलार्थी ने उक्त बॅटवारे से बने अन्य खसरा नम्बर 369/301, 368/301 व 366/301 के सम्बन्ध में इन आराजीयात के केता मदनमोहन महाजन को पक्षकार बनाते हुए नामान्तकरण सं0 132 दिनांक 05.02.2007 के विरूद्ध अपील सं0 10/22 तथा नामान्तकरण सं0 139 दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध अपील सं0 11/22 एवं नामान्तकरण सं0 103 दिनांक 20.05.2005 के विरूद्ध अपील सं0 12/2022 उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। उक्त तीनों अपीले धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील बिलम्ब से प्रस्तुत होना मानते हुए मियाद बाहर होने के आधार पर दिनांक 28.02.2023 को खारिज कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील की नामान्तकरण सं0 120 दिनांक 11.09.2006 के विरूद्ध करीब 18 साल बाद प्रस्तुत की है, साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता ने आरआरटी 2013 (1) पेज नं0 126, डीएनजे 2018 (2) पेज नं0 774, डीएनजे 2024 (2) पेज नं0 414 , डीएनजे 2001 पेज नं0 187, सीसीसी 2012 (2) पेज नं0 1 नजीरे प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। 17/12/24

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाता है तो रेस्पोडेन्ट सं0 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 09.12.2022 को प्रस्तुत की जो दिनांक 09.12.2022 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम में अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.09.2006 की जानकारी दिनांक 22.11.2022 को (अन्य पडौसीयों से बतलाने पर) होना अवगत कराया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। 2019 डीएनजे एससी (1) उक्त नजीर में मा0 न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अर्न्तगत अभिकथन किया है कि "सीमा का मुद्दा तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न है– इस स्तर पर प्रकरण के गुण और दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर केवल वाद में दिए गए कथनों पर गौर किया जाना है और कथनों से यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद सीमा अवधि द्वारा वर्जित है।" 2023 (4) डीएनजे(राज0) 1528 तथा 2024 (1) आरएआर 244 (राज0) उक्त दोनों नजीर एक ही प्रकरण S.B.Civil Misc. Appeal No. 6540 of 2017 With S.B.Civil Misc. Appeal No. 2633 of 2012 से संबंधित है। उक्त नजीर में मा0 न्यायालय द्वारा अभिकथन किया है कि "अपील पेश करने में 1977 दिनों की देरी –विलम्ब का शमन– दावाकत्ताओं द्वारा पेश की अपील पहले ही एडमिट हो चुकी है और यह समान अवार्ड से है– नरम और न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण लिया– विलम्ब शमन किया।" 2023 (2) आरएआर 786 (राज) उक्त नजीर में मा0 न्यायालय द्वारा अभिकथन किया है कि "आदेश 41 नियम 27 प्रतिदावा 890 दिन से अवधिपार – दावेदार की अपील लम्बित – प्रतिदावा में उठाये गये एतराज स्पष्ट रूप से जीवित – विलम्ब शमन किया।" रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। डीएनजे 2024 (2) पेज नं0 414 के अर्न्तगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अभिकथन किया है कि "न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सीमा–सीमा के बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज कर दे, भले ही विपक्षी ने कोई आपत्ति न उठाई हो। (ख) सीमा–सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रकृति निर्देशात्मक है।" 2001 डीएनजे पेज नं0 187 के अर्न्तगत मा0 उच्चतम न्यायालय राजस्थान ने अभिकथन किया है कि " परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 पूर्ण संतुष्टि होने के पश्चात् ही विलम्ब का शमन करना चाहिये– यह सिद्वान्त बहुत कड़ाई से लागू होना चाहिए। " अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2022 को अन्य पडौसियों के यह बतलाने पर कि भूमि का गलत रूप से बंटवारा कर नामान्तकरण खुलवा लिया है के आधार पर जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा ना तो पडौसियों का नाम अंकित किया है ना ही किस सन्दर्भ में अपीलार्थी की पडौसियों से वार्ता हुई अंकित किया है। यदि उक्त बंटवारा गलत हुआ है तो अपीलार्थी को बंटवारे आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। विवादित

17/12/24

नामान्तकरण सं0 120 दिनांक 11.09.2006 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी उक्त नामान्तकरण से किस प्रकार पीड़ित है, यह भी अपीलार्थी ने अपनी अपील में नहीं दर्शाया है। अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष दायर अपील में हुई देरी 15 वर्ष के संबंध में उचित दस्तावेज/साक्ष्य एवं कारण प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जिससे विलम्ब/देरी को क्षमा प्रदान करना न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी